न्यायालयः—प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नौगांव, जिला छतरपुर (म.प्र.)

(समक्ष : उपेन्द्र देशवाल)

दांडिक अपील क्रमांक—35/2022
प्रस्तुत दिनांक 17.10.2022
फाइलिंग नं0—1328/2022
सी.एन.आर. नं0—एमपी—1607—001672—2022

मक्खन कुशवाहा पुत्र लक्ष्मन कुशवाहा आयु 20 वर्ष निवासी ग्राम करारा, थाना अलीपुरा, जिला छतरपुर म.प्र. **अपीलार्थी/आरोपी**

विरुद्ध

शासन म0प्र0 द्वारा आरक्षी केन्द्र अलीपुरा, जिला छतरपुर म.प्र. **प्रत्यर्थी/अभियोगी**

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नौगांव (श्रीमती बिंदु पटेल) के न्यायालय के दांडिक प्रकरण क्रमांक 302/2017 शासन म.प्र. द्वारा आरक्षी केन्द्र अलीपुरा, जिला छतरपुर विरुद्ध मक्खन कुशवाहा में घोषित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 22.09. 2022 से उद्भूत दाण्डिक अपील।

अपीलार्थी/आरोपी की ओर से श्री सुमित सक्सेना अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से श्री दयाराम पाठक अपर लोक अभियोजक।

—: निर्णय :—

(आज दिनांक **27/04/2026** को घोषित)

1. अपीलार्थी/आरोपी ने यह अपील धारा 374 दं0प्र0सं0 के तहत न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नौगांव (श्रीमती बिंदु पटेल) के न्यायालय के दांडिक प्रकरण क्रमांक 302/2017 शासन म.प्र. द्वारा आरक्षी केन्द्र अलीपुरा, जिला छतरपुर विरुद्ध मक्खन कुशवाहा में घोषित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 22.09.2022 से व्यथित व असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त को भारतीय

दण्ड संहिता 1860 (जिसे एतत् पश्चात् भा0दं0सं0 कहा जाएगा) की धारा 452 के अपराध में 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 200/–रूपये के अर्थदण्ड, धारा–354 भा.द.वि. के तहत् 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 200/–रू0 के अर्थदण्ड से एवं भा.द.वि. की धारा–323 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में 03 माह के सश्रम कारावास एवं 200/–रू0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 02 माह के कारावास से दंडित किया है। साथ ही मूल कारावास के समस्त दण्ड एक साथ भुगताने जाने का आदेश दिया है।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार रहा है कि फरियादिया/अभियोक्त्री ने दिनांक 09.04.2017 को थाना अलीपुरा में इस आशय की लिखित रिपोर्ट पेश की कि दिनांक 08.04.2017 को वह अपने घर पर अकेली थी। उसका पति नदी में चीमड़ी रखाने को गया था, उसके ससुर भगवानदास बन्धा में मजदूरी करने गए थे व अजिया सास बकरियां चराने गई थी। शाम करीब 05:00 बजे वह घर पर अकेली थी, उसी समय घर से गोबर डालने घूरे गई थी, घर का दरवाजा उड़का था। वह गोबर डाल कर जैसे ही घर के अन्दर गई तो गांव का मक्खन कुशवाहा उसके घर के भीतर आंगन में खड़ा था, जिसने उसका दाहिना हाथ बुरी नियत से पकड़ कर अपनी तरफ खींचा व दोनों हाथों से उसका सीना दबा दिया और उससे बोला चल अंदर उसके साथ बुरा काम करना है और उसे पकड़ कर घर के अंदर ले जाने को खचोरने लगा। फरियादिया/अभियोक्त्री वहीं जमीन पर बैठ गई और चिल्लाई, तब मक्खन ने उसके गालों पर दो–तीन तमाचा मारे व एक लात उसके कूल्हे में मारी और मादरचोदी, भोसड़ीवाली की गालियां देते हुए घर के पीछे की इकवारी कूद कर गांव तरफ भाग गया था। फरियादिया/अभियोक्त्री चिल्लाई तो उसकी दीदी उषा जो उसके घर के पास रहती थी, उसके चिल्लाने की आवाज सुन कर उसके घर आ गई। उसने रोते हुए पूरा हाल बताया। उसकी दीदी ने फोन लगा कर उसके ससुर भगवानदास को बुला कर सब हाल बताया व उसकी अजिया सास व अजिया ससुर आ गए थे, तब वह अपने अजिया ससुर के साथ थाने में रिपोर्ट करने को गई थी। फरियादिया/अभियोक्त्री की उक्त लिखित रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध थाना अलीपुरा में अपराध क्रमॉक 34/17 धारा–452, 354, 294, 323 व 506 भा0द0वि0 के तहत् पंजीबद्ध कर, विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र संबंधित विचारण न्यायालय में पेश किया गया।

3. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में यह आधार लिये हैं कि अभियोक्त्री अ.सा.1 ने अपने न्यायालयीन कथन में यह स्वीकार किया है कि जब वह गोबर डालने गई थी तो अपने घर का दरवाजा अटका कर गई थी और गोबर डाल कर वापस आई तो आरोपी उसके घर के अंदर आंगन में खड़ा था। आरोपी ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ कर खींचा था और सीना दबाया था। आरोपी ने उससे अंदर चलने के लिए कहा था और यह भी कहा था कि उसके साथ बुरा काम करना है। मौके पर उषा कुशवाहा आ गई थी, जिसे फरियादी ने पूरी घटना बताई थी तथा उषा ने ही फरियादिया के ससुर को फोन लगाया था, जबकि अभियोजन साक्षी श्रीमती उषा कुशवाहा अ.सा.9 ने न्यायालय के समक्ष हुए अपने कथन में अभियोजन कहानी का किसी भी बिन्दु पर कोई समर्थन नहीं किया है। अभियोक्त्री ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया कि घटना के ठीक बाद उसकी अजिया सास आ गई थी, जबकि अभियोजन के अनुसार घटना के तत्काल बाद उषा कुशवाहा मौके पर सबसे पहले पहुंची थी, जिसको फरियादिया ने घटना का सम्पूर्ण हाल बताया था। फरियादी के अजिया ससुर अ.सा.2 ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया कि घटना के समय वह हार पर था, जब शाम को वापस आया तो फरियादिया ने उसे घटना का सारा हाल बताया था। उक्त साक्षी ने भी घटना के समय सबसे पहले उषा कुशवाहा का मौके पर पहुंचना बताया है, जबकि उषा कुशवाहा ने घटना का किसी भी बिन्दु पर कोई समर्थन नहीं किया है, जबकि वास्तविकता यही है कि आरोपी के खेत पर से फरियादिया के परिवार वालों एवं आरोपी के मध्य बुराई थी, जिस कारण फरियादिया के परिवार वालों ने मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध इस प्रकरण को पंजीबद्ध कराया है। फरियादिया का ससुर अ.सा.4 ने नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 अपने समक्ष बनाया जाना बताया है, परन्तु साक्षी ने उस पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया है, किन्तु उक्त साक्षी प्रतिपरीक्षण में कहता है कि पुलिस ने नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 पर उसके हस्ताक्षर कराए थे। रिपोर्ट लिखाए जाने के बिन्दु पर भी व्यापक विसंगति एवं विरोधाभास है। साक्षी हरगोविन्द अ.सा.3 ने घटना की जानकारी होने से स्पष्टतः इंकार किया है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसके सामने कोई घटना घटित नहीं हुई। साक्षी मानकुंवर अ.सा.5 ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया कि अपीलार्थी उसके घर में घुस आया था और उसने फरियादिया को लातें मारी थीं तथा झकझोर दिया था और शायद बेइज्जती करने के लिए ले जा रहा था। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसे घटना के

बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बताया कि उसे घटना के बारे में बच्चों ने बताया था, जिनके नाम उसे याद नहीं हैं। इस तथ्य को स्वीकार किया है कि जब वह घर आई तो फरियादिया के अतिरिक्त और कोई नहीं था। चन्द्रभान कुशवाहा अ.सा.10 ने रामश्री के बताए अनुसार आवेदन लिखना बताया है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बताया कि ग्राम करारा के 50–60 लोग आए थे। साक्षी शिवशंकर अ.सा.6 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने थाना पर देरी से आने का कोई कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट में लेख नहीं किया था। डॉ. रविन्द्र पटेल अ.सा.8 ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया कि फरियादिया के शरीर पर कोई बाह्य चोट दर्शित नहीं हो रही थी। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अभियोक्त्री के शरीर पर मारपीट के कोई निशान नहीं थे। प्रकरण में आई साक्ष्य में उत्पन्न विरोधाभास एवं विसंगतियों से उत्पन्न सन्देह को भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा कर अपीलार्थी के विरूद्ध दण्डाज्ञा पारित की है जो अपास्त किए जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी ने उक्त आधारों पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय को अपास्त कर उसे दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की है।

4. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि किये जाने एवं अपीलार्थी की अपील को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

5. उभयपक्षों के तर्कों, अपील मेमो के आधारों व अभिलेख के अवलोकन के उपरांत इस दांडिक अपील के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होता है:–

क्या विद्वान विचारण न्यायालय का आलोच्च निर्णय दिनांकित 22.09.2022 विधि एवं तथ्यों के अनुकूल न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है?

<u>:–विचारणीय बिंदु पर सकारण निष्कर्ष:–</u>

6. उभय पक्ष के तर्क सुने गये व पत्रावली का अवलोकन कर परिशीलन किया गया। प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय दिनांकित 22.09.2022 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अभियोक्त्री (अ.सा.1) ने अपने साक्ष्य की कंडिका–1 में बताया कि घटना शाम के 05:00 बजे की है, वह घर पर अकेली थी। वह गोबर डालने के लिए गई, तब आरोपी

उसके घर के अंदर था। जब वह वापस आई तो आरोपी ने उसका दाहिना हाथ पकड़ा, उसका सीना दबा दिया और कहा कि अंदर चलो। जब उसने अंदर जाने से मना किया और वह चिल्लाने लगी तो आरोपी ने उसके गाल पर हाथ से मारा और खचोर दिया, कूल्हे में लात मारी। साक्षी ने बताया कि घटना के समय उसके पति हरगोविन्द खेत पर चुन्दी रखवाने गए थे। उसके चिल्लाने पर उसके अजिया सास आ गई। फिर उसने अजिया सास को घटना की जानकारी दी। कंडिका–2 में यह स्वीकार किया है कि जब वह गोबर डाल कर वापस आई, तब आरोपी उसके घर के अंदर आंगन में खड़ा था। यह भी स्वीकार किया है कि जब वह गोबर डालने के लिए गई थी, तब अपने घर का दरवाजा अटका कर गई थी। यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ कर खींचा और उसका सीना दबाया था। यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसे अंदर चलने के लिए कहा था तथा यह भी कहा था कि उसे उसके साथ बुरा काम करना है। कंडिका–3 में बताया कि उसका पति उसके साथ थाने पर नहीं गया था वह घर पर रहा था।

7. चन्नू कुशवाहा (अ.सा.2) ने अपने साक्ष्य की कंडिका–1 में बताया कि घटना दिनांक को जब वह अपने घर पर लौट कर आया तो उसकी बहू अभियोक्त्री ने बताया कि वह घर के दरवाजे लगा कर घूरा पर कचरा डालने गई थी लौट कर घर वापस आई तो देखा कि आरोपी घर की बखरी में खड़ा था और उसने कहा कि कमरे के अंदर चलो, तब उसकी बहू कमरे के अंदर नहीं गई तो आरोपी ने उसकी गाली–गलौज कर उसके साथ मारपीट कर दी। कंडिका–2 में यह स्वीकार किया है कि अभियोक्त्री ने उसे यह भी बताया था कि आरोपी मक्खन ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ कर खींचा था और उसका सीना दबा दिया था। कंडिका–3 में यह स्वीकार किया है कि जब उसने प्रदर्श पी–3 पर अपना अंगूठा लगाया था, उस समय प्रदर्श पी–3 का कागज खाली था। हरगोविन्द (अ.सा.3) ने अपने साक्ष्य की कंडिका–1 में बताया कि घटना दिनांक की रात को 09:00 बजे वह घर पर लौट कर आया तो घर पर उसकी दादी ने उसे घटना की जानकारी दी। कंडिका–2 में यह स्वीकार किया है कि उसकी दादी ने उसे यह बताया था कि जब अभियोक्त्री घर को वापस आने लगी तो घर के अंदर आरोपी खड़ा था, जिसने अभियोक्त्री का बुरी नियत से हाथ पकड़ लिया था। यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसकी पत्नी से कहा था कि उसे उसके साथ बुरा काम करना है। यह भी स्वीकार किया जब उसकी

पत्नी चिल्लाई तो आरोपी ने उसे बुरी–बुरी गालियां दी और उसे थप्पड़ मारे थे। कंडिका–3 में स्वीकार किया है कि घटना वाले दिन पत्नी ने रिपोर्ट की थी। भगवानदास कुशवाहा (अ.सा.4) ने अपने साक्ष्य की कंडिका–1 में बताया कि घटना की जानकारी उसे उसकी पड़ोसी उषा ने फोन पर दी थी। फिर वह घर पर आया तो अभियोक्त्री ने उसे बताया था कि वह गोबर डाल कर आई तो आरोपी उसके घर के आंगन में खड़ा था और उसने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ कर उसे कमरे में ले जाने लगा। वह आंगन में बैठ गई तो आरोपी ने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रख दिए थे। अभियोक्त्री को आरोपी कमरे के अंदर ले गया था, वहीं पर घटना हुई थी। कंडिका–4 में बताया कि वह फोन के आधा घंटे बाद आया था। जिस समय वह घर पर आया उस समय अभियोक्त्री घर पर अकेली थी। साक्षी ने बताया कि अभियोक्त्री उसकी बहू है, इसलिए वह उससे सिर्फ काम की बात करती है, सामान्य रूप से बात नहीं करती। कंडिका–6 में बताया कि रिपोर्ट करने वह व अभियोक्त्री गए थे।

8. मनकुर कुशवाहा (अ.सा.5) ने अपने साक्ष्य की कंडिका–1 में बताया कि घटना दो–तीन साल पहले शाम के 05:00 बजे की है। अभियोक्त्री उसके नाती की पत्नी है। वह बकरी चराने गई थी, रास्ते में उसे कुछ छोटे बच्चे मिले, जिन्होंने बताया कि आरोपी उसके घर में घुस गया था, तब वह घर पहुंची तो देखा कि अभियोक्त्री रो रही थी। अभियोक्त्री ने उसे बताया कि आरोपी घर के अंदर आ गया था, उसने उसे लातें मारी थीं और झकझोर दिया था। साक्षी ने अपने साक्ष्य की कंडिका–2 में बताया कि जब वह घर पहुंची तो उसे अभियोक्त्री ने बताया था कि वह गोबर फेंकने गई थी। यह स्वीकार किया है कि अभियोक्त्री ने उसे यह भी बताया था कि जब वह लौटी तो आरोपी आंगन में खड़ा था और उसने बुरी नियत से उसका सीना दबा दिया था। कंडिका–3 में बताया कि ऐसा नहीं था कि जब वह बकरियां चरा कर घर आई तो घर पर उसका लड़का भगवानदास और लड़का चन्दू घर पर बैठे थे। साक्षी ने बताया कि अभियोक्त्री ने घटना के बारे में सबसे पहले उसे बताया था।

9. डॉ0 रविन्द्र पटेल (अ.सा.8) ने अपने साक्ष्य की कंडिका–1 में अभियोक्त्री के दो चोटें बताया है, जिसमें चोट क्र.1– दोनों गालों में दर्द, चोट क्र.2–बायें कूल्हे में दर्द। साक्षी ने बताया कि अभियोक्त्री को किसी भी तरह की बाहरी चोट नहीं थी। कंडिका–3 में यह स्वीकार किया है कि अगर

किसी व्यक्ति की मारपीट की जाती है तो उसके शरीर पर मारपीट के निशान बनते हैं। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आहत के शरीर पर मारपीट के कोई निशान नहीं थे।

10. उषा कुशवाहा (अ.सा.9) ने अपने साक्ष्य की कंडिका–1 में बताया कि उसके सामने कोई घटना नहीं हुई। प्रकरण में अभियोक्त्री (अ.सा.1), चन्नू कुशवाहा (अ.सा.2), हरगोविन्द (अ.सा.3), मनकुर कुशवाहा (अ.सा.5), उषा कुशवाहा (अ.सा.9), चन्द्रभान कुशवाहा (अ.सा.10) ने अभियोजन कथा का पूर्ण समर्थन न करने के कारण उन्हें आंशिक या पूर्ण रूप से पक्षद्रोही घोषित किया गया। जहाँ पक्षद्रोही साक्षी हो, वहाँ उनकी समग्र साक्ष्य को मात्र पक्षद्रोही साक्षी होने के कारण ही दरकिनार नहीं किया जा सकता है, अपितु ऐसी स्थिति में पक्षद्रोही साक्षी की साक्ष्य का सावधानी, सूक्ष्मता, सतर्कता के आधार पर, उनकी साक्ष्य का अधिमूल्यन किया जाता है। यदि उनकी साक्ष्य विश्वसनीय, विश्वास योग्य पाई जाती है, तो उसके आधार पर अग्रसर कार्यवाही की जा सकती है। **इस संबंध में न्याय दृष्टांत स्वर्णसिंह विरूद्ध पंजाब राज्य (1976) 4 एस.सी.सी. 569, सलीम साहेब विरूद्ध तमिलनाडू राज्य 2007 सी.आर.एल.जे. 2736 तथा योमेश भाई पी.भट्ट विरूद्ध गजरात राज्य ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 2328, फुज्जी उर्फ सुरेन्द्र तिवारी विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 1853 अवलोकनीय है।** उक्त न्याय दृष्टान्तों के पालन में उक्त साक्षियों की साक्ष्य का सूक्ष्मता से विश्लेषण करने के पश्चात् भी ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है, जोकि अभियोजन कथा का समर्थन करता हो।

11. अभियोक्त्री (अ.सा.1), चन्नू कुशवाहा (अ.सा.2), हरगोविन्द (अ.सा.3), मनकुर कुशवाहा (अ.सा.5) ने पक्षद्रोही घोषित होने के पश्चात् अभियोजन के सभी तथ्यों को स्वीकार किया है, जोकि उनके द्वारा अपने पूर्व पुलिस कथनों में किए गए थे। उषा कुशवाहा (अ.सा.9) के न्यायालयीन कथन से ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है, जोकि किसी भी प्रकार से अभियोजन कथा का समर्थन करता हो। प्रकरण में यह महत्वपूर्ण है कि मौके पर उषा कुशवाहा की उपस्थिति बताई गई है और उसे अभियोक्त्री के चिल्लाने पर मौके पर पहुंचना बताया गया है तथा अभियोक्त्री के द्वारा सर्वप्रथम घटना की जानकारी उषा को ही देना बताया गया है।

12. प्रकरण में सर्वप्रथम अभियोक्त्री की ओर से एक लिखित आवेदन पत्र प्रदर्श पी–1 संबंधित थाना प्रभारी को दिया गया, जिसके आधार पर ही

प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 लेखबद्ध की गई। उक्त आवेदन पत्र के संबंध में अभियोक्त्री (अ.सा.1) ने अपने साक्ष्य की कंडिका–1 में बताया कि उसने शिकायती आवेदन पत्र थाना अलीपुरा में दिया था, जो प्रदर्श पी–1 है। साक्षी ने अपने साक्ष्य की कंडिका–3 में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–1 का आवेदन उसके अजिया ससुर ने लिखवाया है। साक्षी ने बताया कि उसका लेखीय आवेदन प्रदर्श पी–1 उसके अजिया ससुर ने लिखा था। यह भी स्वीकार किया है कि थाने पर अजिया ससुर ने ही आवेदन दिया था। साक्षी ने बताया कि प्रदर्श पी–1 का आवेदन अजिया ससुर ने 06:00 बजे आकर लिखवाया था। उसके अजिया ससुर ने रात के 12:00 बजे थाने में लेखीय आवेदन पत्र प्रदर्श पी–1 दिया था, तब वह थाने के अंदर थी।

13. चन्द्रभान कुशवाहा (अ.सा.10) ने अपने साक्ष्य की कंडिका–1 में बताया कि दिनांक 08.04.2017 के रात्रि करीब 07–08:00 बजे रामश्री कुशवाहा को डायल 100 लेकर आई थी और रामश्री उससे बोली कि उसे रिपोर्ट करना है उसका आवेदन लिख दो, तब उसने रामश्री के बताए अनुसार एक आवेदन पत्र लिखा था। साक्षी ने बताया कि जैसा रामश्री ने बोला था वैसा ही उसने लिखा था और लिखने के पश्चात् रामश्री को पढ़ कर सुनाया था। रामश्री ने हस्ताक्षर किए थे फिर उसने हस्ताक्षर किए थे। लिखित आवेदन पत्र प्रदर्श पी–1 है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अपने साक्ष्य की कंडिका–2 में बताया कि उसे आज याद नहीं है कि रामश्री थाने में 07–8:00 बजे आई थी या 12–01:00 बजे। कंडिका–3 में साक्षी ने बताया कि रिपोर्ट लिखाते समय रामश्री के साथ 2–3 लोग आए थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को थाने पर ग्राम करारा के 50–60 आदमी आए थे। भगवानदास कुशवाहा (अ.सा.4) ने अपने साक्ष्य की कंडिका–6 में बताया कि रिपोर्ट करने वह, उसके पिता व अभियोक्त्री गए थे। रिपोर्ट अभियोक्त्री ने बोल कर लिखाई थी। ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 अभियोक्त्री के अजिया ससुर ने लिख कर दी हो।

14. प्रकरण में अभियोक्त्री के हस्तलिखित कोई आवेदन नहीं है। अभियोक्त्री का आवेदन उसके अजिया ससुर के द्वारा लेख करना बताया है, जबकि चन्द्रभान कुशवाहा (अ.सा.10) के द्वारा लिखित आवेदन पत्र प्रदर्श पी–1 को रामश्री के बताए अनुसार लेखबद्ध करना बताया है। प्रदर्श पी–1 के आवेदन पत्र को घटना के बारे में सूचना देना तथा उसी पर प्रथम सूचना

रिपोर्ट का लेखबद्ध कराया जाना (अ.सा.1) के द्वारा स्वीकार किया गया है। उक्त आवेदन पत्र के लेखक के द्वारा अभियोक्त्री की ओर से कथित रूप से प्रस्तुत प्रदर्श पी–1 का अभियोक्त्री या उसके अजिया ससुर की सूचना पर लेखबद्ध किया हो ऐसा कोई कथन नहीं किया है। अभियोक्त्री का कोई नाम रामश्री हो इस संबंध में भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अभियोक्त्री (अ.सा.1) के द्वारा अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका–1 में घटना के पूर्व आरोपी की उपस्थिति अपने घर में बताई है। उक्त तथ्य की पुष्टि (अ.सा.2) लगायत (अ.सा.5) के कथनों से नहीं होती है। (अ.सा.1) लगायत (अ.सा.4) के द्वारा कथित रूप से घटना के समय अभियोक्त्री के साथ आरोपी के द्वारा थप्पड़ व लातों के साथ मारपीट करना बताया गया है। उक्त तथ्य की पुष्टि पत्रावली पर उपस्थित अभियोक्त्री की प्री एम.एल.सी. रिपोर्ट, दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी–7 व मौखिक साक्षी (अ.सा.8) के न्यायालयीन कथन से नहीं होती है। मनकुर कुशवाहा (अ.सा.5) के द्वारा अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका–1 व प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 में अभयोक्त्री के चिल्लाने पर मौके पर उषा कुशवाहा का उपस्थित होना बताया गया है। उक्त तथ्य की पुष्टि उषा कुशवाहा (अ.सा.9) के न्यायालयीन कथन से नहीं होती है। उक्त तथ्य जोकि विवेचना के दौरान प्रकाश में आए हैं वह अभियोजन कथा को सन्देह की परिधि में ला देते हैं। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों का कोई आलंबन अपने निर्णय में लिया हो ऐसा प्रतीत नहीं होता।

15. दाण्डिक प्रकरण में यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन को युक्तियुक्त संदेह से परे अपना मामला सिद्ध करना होगा। संदेह कितना भी प्रबल क्यों न हो, वह प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता है और संदेह का लाभ हर स्थिति में अभियुक्त प्राप्त करने का अधिकारी होता है। इस सम्बन्ध में न्याय दृष्टान्त **स्टेट ऑफ पंजाब बनाम भजन सिंह ए.आई.आर. 1975 सु. को. 258** अवलोकनीय है।

16. उपरोक्त विवेचना व पत्रावली पर उपस्थित साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रमाणित है कि अपीलार्थी को विचारण न्यायालय द्वारा भा.द.सं. की धारा 452, 354 व 323 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर दण्डित करने में विधि एवं

तथ्य संबंधी त्रुटि कारित की गई है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय दिनांकित 22.09.2022 के माध्यम से दिए गए दोषसिद्धि एवं दण्डाज्ञा के निष्कर्ष को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत यह दांडिक अपील स्वीकार की जाती है एवं अपीलार्थी/आरोपी को दोषसिद्ध अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी के आवेदन पत्र पर आलोच्य निर्णय के अनुपालन में यदि कोई अर्थदण्ड की धनराशि जमा की गई है, तब वह उसके आवेदन पर नियमानुसार उसे वापस की जावे।

17. आरोपी न्यायालय में उपस्थित है। उसके जमानत, मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

18. निर्णय की एक सत्यप्रतिलिपि विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ संलग्न कर मूल अभिलेख वापस किया जावे।

19. अपील का परिणाम पंजी/सीआईएस में दर्ज कर प्रकरण नियत समयावधि में अभिलेखागार में जमा किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित।

(उपेन्द्र देशवाल)
प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश
नौगांव, जिला छतरपुर (म.प्र.)

(उपेन्द्र देशवाल)
प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश
नौगांव, जिला छतरपुर (म.प्र.)

UPENDRA DESHWAL

Digitally signed by UPENDRA DESHWAL
Date: 2026.04.28 16:51:05 +0530